**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या- *5**

**सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)**

**रोजगार के अतिरिक्त अवसर**

*5. **श्री विनायक भाऊराव राऊत:**
**श्री संजय जाधव:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाओं के कारण रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित हो रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी नई नौकरियों का पंजीकरण किया गया है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी रिकार्ड के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कुल बेरोजगार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कोई राष्ट्रीय शहरी युवा रोजगार कार्यक्रम तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2014 से आज तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर कोई पहल शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार मंत्री**
**(श्री भूपेन्द्र यादव)**

**(क) से (छ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।**

**

**"रोजगार के अतिरिक्त अवसर" के संबंध में श्री विनायक भाऊराव राऊत एवं श्री संजय जाधव द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 04-12-2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *5 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

**(क) से (छ)**: नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, इस पैकेज में विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत, योजना के आरंभ से लेकर दिनांक 12.11.2023 तक, 60.48 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार, दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत, दिनांक 22.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को शुरु से आखिर तक सहायता प्रदान करने के लिए, दिनांक 17 सितंबर, 2023 को, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य, अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार-आधारित प्रैक्टिस को मजबूत और पोषित करना है। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों तथा सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के आरंभ से दिनांक 17.11.2023 तक 26.08 लाख करोड़ रुपए की राशि के 44.41 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न कदम उठा रही है, इस पहल को, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार, स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए, दिनांक 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था।

'मेक इन इंडिया' पहल, दिनांक 25 सितंबर, 2014 को निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, श्रेणी के बुनियादी ढांचे में सर्वश्रेष्ठ निर्माण और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का विकास भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। अपनी शुरूआत से ही 'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हांसिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एक मांग आधारित वेतन रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से  कम सौ दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने तथा बुनियादी सुविधाओं सहित 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने के समग्र लक्ष्य के साथ,  दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण पीएमएवाई-जी घरों के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्रियों की अपर्याप्त संख्या की समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह पहल, न केवल ग्रामीण कार्यबल के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करती है बल्कि विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता में भी योगदान देती है।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए दो कौशल विकास कार्यक्रम हैं, जिनके नाम हैः दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, चाहे वह वेतन रोजगार हो या स्वरोजगार।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल भारत मिशन के तहत, देश भर में युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए (अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित युवाओं सहित) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है, जबकि आरपीएल प्लेसमेंट को अनिवार्य नहीं करता है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को पहचानता है। दिनांक 04.11.2023 तक, 24.38 लाख उम्मीदवारों को योजना के तहत नियोजित किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, एक सतत आधार पर, शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा की भावना को कम करने के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (ईएसटीएंडपी) घटक के माध्यम से रोजगार के तहत बाजार उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण द्वारा शहरी गरीबों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। साथ ही, शहरी गरीब व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लाभकारी स्वरोजगार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए जमीनी स्तर के मजबूत संस्थानों का निर्माण करना, शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना और उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। पीएलएफएस से पहले, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) करवाया जाता था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में पिछले दस वर्षों के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार हैः

| **वर्ष** | **कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) % में** |
|---|---|
| **ईयूएस, श्रम ब्यूरो** | |
| 2012-13 | 51.0 |
| 2013-14 | 53.7 |
| 2015-16 | 50.5 |
| 2016-17 | 50.7 |
| **पीएलएफएस, एमओएसपीआई** | |
| 2017-18 | 46.8 |

| | |
|---|---|
| 2018-19 | 47.3 |
| 2019-20 | 50.9 |
| 2020-21 | 52.6 |
| 2021-22 | 52.9 |
| 2022-23 | 56.0 |

**स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो**

**बेरोजगारी दर (यूआर) % में**

| **वर्ष** | **ग्रामीण** | **शहरी** | **ग्रामीण + शहरी** |
|---|---|---|---|
| **ईयूएस, श्रम ब्यूरो** | | | |
| 2012-13 | 3.5 | 5.3 | 4.0 |
| 2013-14 | 2.9 | 4.9 | 3.4 |
| 2015-16 | 3.4 | 4.4 | 3.7 |
| 2016-17 | 3.5 | 5.3 | 3.9 |
| **पीएलएफएस, एमओएसपीआई** | | | |
| 2017-18 | 5.3 | 7.7 | 6.0 |
| 2018-19 | 5.0 | 7.6 | 5.8 |
| 2019-20 | 3.9 | 6.9 | 4.8 |
| 2020-21 | 3.3 | 6.7 | 4.2 |
| 2021-22 | 3.2 | 6.3 | 4.1 |
| 2022-23 | 2.4 | 5.4 | 3.2 |

**स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो**

दोनों सर्वेक्षणों अर्थात पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो की अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज होने के कारण इनके परिणाम तुलनीय नहीं हैं। पीएलएफएस, मौसमी श्रम बल को कवर करता है क्योंकि यह जुलाई से अगले वर्ष जून (अर्थात् पूरे वर्ष) तक की अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है जबकि श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में फील्ड कार्य 7 से 9 महीने तक होता है और इसलिए इसमें मौसमी श्रम बल को पूर्णतः कवर नहीं किया गया था। इसके साथ-साथ, इन दोनों सर्वेक्षणों के बीच कई अन्य पद्धतिगत अंतर भी हैं।

पीएलएफएस आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2022-23 के दौरान 3.2% हो गई है। इसके साथ-साथ, देश में अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 के दौरान 46.8% से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान 56.0% हो गई है, जो यह दर्शाता है कि देश में रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

*****